

प्रेषक,

रेणु कुमारी,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

डॉ० सदफ खातुन,
चिकित्सा पदाधिकारी (बॉण्ड),
न्यू गार्डिनर रोड सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, पटना,
पत्राचार का पता:- 28, Crescent Defence enclave 1st Cross,
BSF Signal Training School,
Katekenahalli AFS Yelahanka Bengaluru,
State- Karnataka, Pin Code-560063
E-mail Id- sadafk231@gmail.com

पटना, दिनांक :- / /2026

विषय :- न्यू गार्डिनर रोड सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, पटना में अविलंब योगदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अधीक्षक, न्यू गार्डिनर रोड सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, पटना के पत्रांक-566 दिनांक-19.05.2026 के द्वारा सूचित किया गया है कि आप अपने पदस्थापित स्थल से दिनांक-20.03.2026 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं, जिसके कारण संस्थान में अल्ट्रासाउण्ड की सेवा का संचालन प्रभावित हो रहा है।

उल्लेखनीय है कि विभागीय आदेश सं०-287(17), दिनांक-05.03.2026 द्वारा आपको बंध पत्र के अधीन अनिवार्य सेवा प्रदान करने हेतु न्यू गार्डिनर रोड सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, पटना में पदस्थापित किया गया है।

विदित हो कि राज्य के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों से पी०जी०/डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्रों को राज्य में अनिवार्य बॉण्ड सेवा प्रदान की जानी है। अनिवार्य सेवा राज्य सरकार को उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में 25 (पच्चीस) लाख रुपये की राशि एकमुश्त वापस करने का प्रावधान है।

अतः उक्त के आलोक में निदेशित है कि पदस्थापित चिकित्सा संस्थान यू गार्डिनर रोड सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, पटना में 07 दिनों के अंदर योगदान कर बॉण्ड अवधि पूरी करना सुनिश्चित करे अथवा बॉण्ड सेवा राज्य सरकार को उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में 25 (पच्चीस) लाख रुपये की राशि एकमुश्त वापस करना सुनिश्चित करे, अन्यथा विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।

उक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/-

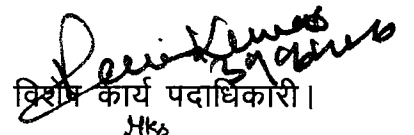
(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक-17/ विविध-01-108/2026 - 740/17) / पटना, दिनांक- 01/10/2026

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, न्यू गार्डिनर रोड सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, पटना के पत्रांक-566 दिनांक-19.05.2026 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।
MKs